

राजस्थान सरकार  
शिक्षा (गुप-3) विभाग  
जयपुर

क्रमांक: प 1 (23) शिक्षा/गुप-3/2013-14/

दिनांक: 10.10.2013

**आदेश**

राज्य में संचालित 15 राजकीय विधि महाविद्यालयों में से बी.सी.आई. नाम्स को पूर्ण करने वाले निम्न 11 राजकीय महाविद्यालयों के लिए निम्नानुसार शैक्षणिक (31 पूर्णकालीन विधि व्याख्याता (38-7), 11 पुस्तकालयध्यक्ष एवं 11 शारीरिक शिक्षक ) के पदों के अतिरिक्त सृजन की स्वीकृति एतद् द्वारा निम्नलिखित बजट मद में जारी की जाती है :-

2202-03-103-(08) आयोजना भिन्न

विधि महाविद्यालय का नाम	अतिरिक्त पदों का सृजन		
	विधि व्याख्याता	पुस्तकालयध्यक्ष	शारीरिक शिक्षक
अजमेर	06	01	01
अलवर	02	01	01
भरतपुर	02	01	01
भीलवाड़ा	07	01	01
बीकानेर	07	01	01
चूरु	01	01	01
धौलपुर	0	01	01
कोटा	02	01	01
पाली	03	01	01
श्रीगंगानगर	01	01	01
सीकर	07	01	01
योग	38	11	11

उक्त पदों के सृजन उपरान्त शेष 4 विधि महाविद्यालय जो बीसीआई नाम्स पूरे नहीं करते हैं, में पूर्णकालीन विधि व्याख्याताओं के सृजित पदों में से निम्नांकित पदों को उक्तानुसार समायोजित किया जाता है।

विधि महाविद्यालय का नाम	व्याख्याता के अतिरिक्त पदों की संख्या जिनका समायोजित किया जाता है।
बून्दी	02
झालावाड़	02
नागौर	01
सिरोही	02
योग	07

इस क्रम में अशैक्षणिक पदों के सबध में पूर्व में वित्त विभाग की आईडी संख्या 130903199 दिनांक 08.02.2012 द्वारा 0 8 महाविद्यालयों में स्थिर मानदेय पर निम्नानुसार स्वीकृत पदों को विलोपित किया जाता है।

पदनाम	पदों की संख्या	स्थिर मानदेय राशि रु में
कनिष्ठ लेखाकार	08	10000
वरिष्ठ लिपिक	08	7900
कनिष्ठ लिपिक	08	6100
च. श्रे. कर्मचारी	08	4850

उक्त पदों के विलोपन के फलस्वरूप बिन्दु संख्या 1 में वर्णित 11 विधि महाविद्यालय हेतु निम्नानुसार अशैक्षणिक पदों के सृजन पर भी सहमति प्रदान की जाती है।

पदनाम	पदों की संख्या	विशेष विवरण
लेखाकार	11	
वरिष्ठ लिपिक	11	
कनिष्ठ लिपिक	11	
कम्प्यूटर ऑपरेटर	11	वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर परिपत्रानुसार निर्धारित मानदेय पर मेन मशीन
बुक लिपटर	11	
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	22	REXCO के माध्यम से संविदा पर
फर्राश	11	Job basis पर आउट सोर्सिंग के माध्यम से

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-12) विभाग की आई डी संख्या 101303485 दिनांक 26.09.2013 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।


राज्यपाल की आज्ञा से,

Sd/  
(बी.एल. कन्दोई)

संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा।
2. निदेशक, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को मय उनकी पत्रावली संख्या एफ 4 (15)आयो/निकाशि/05/पार्ट सहित प्रेषित है।
3. निदेशक वित्त (बजट) राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग/ आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
6. बार कौन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।
7. सचिव बार कौन्सिल ऑफ इण्डिया, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर/ जोधपुर।
8. संयुक्त सचिव शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
9. कुल सचिव राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर/ एम.डी.एस. विश्वविद्यालय, अजमेर/ जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर/ महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर/ एम.एल. सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर/ कोटा विश्वविद्यालय, कोटा/ डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जयपुर।
10. उपविधि परामर्शी, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
11. प्राचार्य सम्बन्धित विधि महाविद्यालय।
12. सम्बन्धित कोष कार्यालय।
13. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा


निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ 20(101)आयो/आकाशि /2013/ 1582 - 1587 दिनांक: 15/02/2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

- 1 संयुक्त निदेशक ( स्थापना ) कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर सूचनार्थ
- 2 संयुक्त निदेशक (कार्मिक/अनुदान/अकादमी ) कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर
- 3 मुख्य लेखाधिकारी, कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर
- 4 जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर को सूचनार्थ।
- 5 प्रोग्रामर/प्रभारी, सांख्यिकी/कम्प्यूटर शाखा, निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर

✓ 6 डा धीरेन्द्र देवर्षि व्याख्याता प्रभारी वेबसाइट कालेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

  
संयुक्त निदेशक

राजस्थान सरकार  
शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक प 1(23)शिक्षा/ग्रुप-3/2013/

जयपुर, दिनांक: 1.10.2013

:: आ दे श ::

शैक्षणिक सत्र 2013-14 में जिला राजसमन्द में स्नातक स्तर पर कला संकाय का नवीन राजकीय महाविद्यालय, देवगढ़ में प्रारम्भ किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

मांग संख्या 24

बजट मद 2202- सामान्य शिक्षा

03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा

103- राजकीय महाविद्यालय तथा संस्थान

02- राजकीय महाविद्यालय (पुरुषों के लिए) आयोजना

क्र सं.	पद का नाम	पदों की संख्या
1	प्राचार्य	01
2	व्याख्याता	07
3	पुस्तकालयध्यक्ष	01
4	शारीरिक शिक्षक	01
5	कार्यालय अधीक्षक	01
6	सहायक लेखाधिकारी	01
7	शीघ्रलिपिक	01
8	वरिष्ठ लिपिक	01
9	कनिष्ठ लिपिक	02
10	प्रयोगशाला सहायक	01
11	प्रयोगशाला वाहक	01
12	बुक लिप्टर	01
13	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	02
	योग	21

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई0डी0 संख्या 151301243 दिनांक 1.10.2013 के आधार की जारी की जाती है ।

5/4 -

( बी0एल0 कन्दोई)

संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा

दिनांक 1.10.2013

क्रमांक प 1(23)शिक्षा/ग्रुप-3/2013/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा, राज0 जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राज0 जयपुर ।
3. जिला कलक्टर, राजसमन्द कृपया अस्थाई भवन की व्यवस्था करने का श्रम करें ।
4. कुल सचिव, मोहनलाल सुखाडिया, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया बिना विलम्ब शुल्क के सम्बद्धता प्रदान करने का श्रम करें ।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान जयपुर ।
6. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग, राजस्थान जयपुर ।
7. निदेशक कालेज शिक्षा राज0 जयपुर ।
8. प्राचार्य, संबंधित राजकीय महाविद्यालय
9. रक्षित पत्रावली ।


संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 20(101)आयो/आकाशि /2013/1791-1798 दिनांक: 8 अक्टूबर, 2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

- 1 संयुक्त निदेशक ( स्थापना ) कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि स्वीकृत पदों को पदस्थापन की कार्यवाही प्रारंभ करें।
- 2 संयुक्त निदेशक (कार्मिक/अनुदान/अकादमी ) कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर
- 3 मुख्य लेखाधिकारी, कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर
- 4 प्रोग्रामर/प्रभारी, सांख्यिकी/कम्प्यूटर शाखा, निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर
- 5 डा धीरेन्द्र देवर्षि व्याख्याता प्रभारी वेबसाइट कालेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर



संयुक्त निदेशक